

# लाडली लक्ष्मी योजना, आवेदन एवं पंजीकरण--माखन लाल Govt.H.S.School पनवार सीधी

## लाडली लक्ष्मी योजना/ Ladli Laxmi Yojana

### उद्देश्य/ Objective

लाडली लक्ष्मी योजना बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश में दिनांक 01.04.2007 से लाडली लक्ष्मी योजना लागू की गई ।

### योजना का लाभ/ Benefits Offered by the Scheme

जिनके माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, आयकर दाता न हों । द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता या पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो।

### आवेदन एवं पंजीकरण/ How to Register?

आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय/लोक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन/रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। (प्रकरण स्वीकृति हेतु समस्त दस्तावेजों का परीक्षण परियोजना कार्यालय से कराया जाना होगा। तत्पश्चात् प्रकरण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकेगा।) प्रकरण स्वीकृति उपरांत बालिका के नाम से शासन की ओर से रुपये 1,18,000/- का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

### राशि का प्रदाय/ Disbursement of Incentive

1. योजनान्तर्गत बालिका के नाम से, पंजीकरण के समय से लगातार पांच वर्षों तक रुपये 6-6 हजार मध्यप्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किये जाएंगे अर्थात् कुल राशि रुपये 30000 बालिका के नाम से जमा किये जाएंगे।
2. बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर रु.2000
3. कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने पर रु.4000
4. कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर रु.6000
5. 12 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर रु.6000 ई-पेमेंट के माध्यम से किया जावेगा।
6. अंतिम भुगतान रुपये 1 लाख बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12 वीं परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान की जावेगी, किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो।